राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति-मध्य प्रदेश | State Level Bankers Committee-Madhya Pradesh

जेड.ओ/एस.एल.बी.सी./2022-23/59

जून 07, 2022

प्रति,

राज्यस्तरीय बैंक प्रमुख
समस्त बैंक, मध्य प्रदेश

विषय- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 182 वीं बैठक दिनांक 24.05.2022 के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

संदर्भ - संचालनालय संस्थागत वित्त मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्र.एस.एल.बी.सी./182वीं-बैठक / संविसं/ 2022/ 1742 दिनांक 01.06.2022

महोदय/ महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 24 मई, 2022 को माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 182 वीं बैठक का अनुमोदित कार्यवाही विवरण संलग्न है ।

कृपया कार्यवाही विवरण का अनुपालन सुनिश्चित कर कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) दस दिवस के अंदर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

धारासिंग नायक के
उप महाप्रबंधक- एसएलबीसी

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक, संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश शासन, विंध्यांचल भवन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।

संचानलालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश
ग–खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल – 462004
☎ – (0755) 2551199, 2552003
फ़ैक्स – 0755–2551387
ई–मेलः difbho@mp.gov.in
वेबसाइटः www.dif.mp.gov.in

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
आंचलिक कार्या.9,अरेरा हिल्स,भोपाल
2 JUN 2022
डाक प्राप्त
DAK RECEIVED

क.एसएलबीसी / 182वीं–बैठक / संविसं / 2022 / 1742 –

भोपाल, दिनांक 01–06–2022

एस0एल0बी0सी0 की समीक्षा बैठक दि. 24–05–2022 का कार्यवाही विवरण

प्रति,

संयोजक,
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश एवं
महाप्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
अरेरा हिल्स, भोपाल

विषयः– राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 182वीं बैठक का कार्यवाही विवरण बाबत्।

=0=

उपरोक्त विषयान्तर्गत **दिनांक 24 मई, 2022 को माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में सम्पन्न** राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 182वीं बैठक का अनुमोदित कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

J.K. Gupta

(सतीश गुप्ता)
संयुक्त संचालक
संस्थागत वित्त

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 24/05/2022 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 182वीं बैठक का कार्यवृत

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में दिनांक 24/05/2022 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 182वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में श्री जगदीश देवड़ा जी, माननीय वित्त मंत्री-मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव-मध्यप्रदेश शासन, कार्यकारी निदेशक-सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव वित्त विभाग, राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड सहित बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा सहभागिता की गई। संयोजक एसएलबीसी द्वारा एजेंडावार प्रस्तुतीकरण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए:-

I. वार्षिक साख योजना 2022-23 का विमोचन

1. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य के वार्षिक साख योजना 2022-23 का विमोचन किया गया।
2. सभी बैंक वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर माह का लक्ष्य तय करें।
3. सभी बैंक वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करें।

कार्यवाही- सभी बैंक

4. बैंक स्वसहायता समूहों हेतु तय लक्ष्य रु 2,552 करोड़ को बढ़कर रु 3,000 करोड़ किए जाने पर विचार करें।

कार्यवाही-राज्य आजीविका मिशन, एसएलबीसी

II. बैंकों के व्यवसाय वृद्धि एवं साख-जमा अनुपात वर्ष 2021-22 की समीक्षा

1. मध्यप्रदेश के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के देश के साथ तुलनात्मक प्रगति प्रस्तुत की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2021-22 में राज्य की वाय-ओ-वाय प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।
2. बैंकर्स प्रदेश में साख-जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करे।

कार्यवाही- सभी बैंक

3. मध्यप्रदेश विकासशील राज्य से विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है इसलिए सभी बैंक साख-जमा अनुपात बढ़ाने पर गम्भीरता से ध्यान दें।
4. जिन बैंकों के साख-जमा अनुपात राज्य के औसत से कम हैं वे अपना सीडी रेशियों बढ़ाएँ।

कार्यवाही- सभी सम्बंधित बैंक

5. जनजातीय जिलों में लोगों के ऋण लेने की प्रवृति कम होती है | जिला प्रशासन बैंकों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाये साथ ही इन जिलों के साख-जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिये जाएँ |

III. स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

1. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में ज़्यादा से ज़्यादा ऋण प्रकरण स्वीकृत कर हितग्राहियों को लाभान्वित करें। योजना अंतर्गत हितग्राहियों से कोलेट्रल प्रतिभूति की माँग न किए जाए।
2. जिन योजनाओं में किसी भी प्रकार के अनुदान का प्रावधान नहीं है उन योजनाओं को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के साथ convergence किए जाए जिससे कि हितग्राही को अनुदान का लाभ प्राप्त हो सके।
3. प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना में स्वीकृत ऋण प्रकरणों का वितरण समय पर हो।
4. निजी क्षेत्र की बैंक सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर पीएम स्वनिधि योजना के प्रकरण स्वीकृत करें।

कार्यवाही- निजी क्षेत्र के बैंक

5. मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में भी स्वीकृत प्रकरणों के मुताबिक़ वितरण की कार्यवाही हो।
6. महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाए। इसके लिए महिला स्वसहायता समूहों को आगे बढ़ाने के लिए अधिकाधिक ऋण स्वीकृत करें।
7. केसीसी पशुपालन, मत्स्यपालन, राष्ट्रीय पशुधन योजना एवं पीएमएफएमई योजनाओं की प्रगति बढ़ाई जाए। योजना अंतर्गत आने वाले व्यावहारिक एवं अन्य समस्याओं का निराकरण सम्बंधित विभाग, एसएलबीसी एवं बैंकों के साथ बैठक कर सुलझाएँ।

कार्यवाही- पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्यपालन विभाग एवं एसएलबीसी

8. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर वर्गों के रोजगार सृजन पर ध्यान दें।
9. प्रदेश में हर माह रोजगार दिवस का आयोजन किया जाएगा। हर माह का लक्ष्य निर्धरित कर रोज़गार दिलाया जाए। 30 मई, 2022 को अगला रोजगार दिवस का आयोजन किया जाएगा।
10. महत्वाकांक्षी योजनाओं का लक्ष्य पूरा कर बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करें।
11. कमजोर वर्गों में उद्यमशीलता बढ़ाने के पूरे प्रयास करें।

कार्यवाही- सभी बैंक

12. वार्षिक लक्ष्यों को मासिक आधार पर बांटकर उसकी समीक्षा की जाए |

कार्यवाही- स्वरोजगार संचालित करने वाले सभी विभाग

IV. शासकीय योजनांतर्गत एनपीए की समीक्षा

1. स्वरोजगार योजनांतर्गत सम्बंधित शासकीय विभाग एनपीए का वसूली प्रतिशत बढ़ाएँ। बैंकों को एनपीए की वसूली में सहयोग प्रदान करें।

कार्यवाही-सम्बंधित शासकीय विभाग

2. माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन योजनांतर्गत बढ़ते एनपीए की समस्या को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए।

कार्यवाही- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं संस्थागत वित्त

V. वित्तीय समावेशन

1. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति बढ़ाई जाए।
2. पीएमजेजेबीवाय तथा पीएमएसबीवाय योजनाओं के तहत वैसे हितग्राही जिनके पीएमजेडीवाय खाते में वर्ष 2021 के सितम्बर तिमाही में QAB रु 1000/-थे को इन योजनाओं के तहत नामांकन करवाने के निर्देश दिए। नामांकन हेतु निम्नलिखित समय-सीमा तय किए गए-
   - पात्र खातों के कम से कम 40% : सितम्बर'22
   - पात्र खातों के कम से कम 70% : सितम्बर'23
   - शत-प्रतिशत खाते " : सितम्बर'24

कार्यवाही- सभी बैंक

3. सभी निजी क्षेत्र के बैंकपीएम जन सुरक्षा योजनाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाएँ।

कार्यवाही- सभी निजी क्षेत्र के बैंक

VI. मध्यप्रदेशस्टार्टअपनीति एवं कार्यान्वयन योजना2022

1. मध्यप्रदेशशासन ने महत्वकांक्षी स्टार्टअपनीति एवं कार्यान्वयन योजना2022 लागू किया है। सभी बैंक इस योजना का प्रचार-प्रसार करें और पात्र स्टार्टअप इकाई को वित्तीय सहायता प्रदान करें।

कार्यवाही- सभी बैंक

VII. स्विफ़्ट इंडियाऑटोमेटेड ई-स्टाम्पिंग

1. SWIFT India के strategic advisor ने बताया कि SWIFT India 11 प्रमुख बैंकों का संयुक्त उद्यम है जोसमुदाय को मानकीकृत और सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवाएं प्रदान करती है। Automated e-Stamping डिजिटल रूप से बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क के भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, और यह एक end-to-endStraight Through Process प्रणाली है।
2. माननीय मुख्यमंत्री जी वाणिज्यिक कर विभाग को SWIFT India के चर्चा कर इस प्रणाली को मध्यप्रदेश में जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए।

कार्यवाही- वाणिज्यिक कर विभाग

बैठक मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक के धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित)